नम्बर व ... अहकाम की ... हुक्म की ... में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर
(पीठासीन अधिकारी:– सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या:– 59/23 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2023/67)

श्रीमती ज्योतिदेवी पत्नि सियाराम परमार निवासी जगदम्बा कोलोनी सेंपऊ रोड थाना निहालगंज धौलपुर जिला धौलपुर।

.........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 20.03.2023

उपस्थिति:–

श्री भूपत कुमार जैन वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांक: 17.09.2024

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के आदेश दिनांक 20.03.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलान्ट के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय में जून 2021 में जान माल का खतरा होने के कारण पिस्टल का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विधुत बिल की छाया प्रति व नगर परिषद धौलपुर के बार्ड नम्बर 8 की पार्षद गिरिजा देवी का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपीलाधीन आदेश क्रमांक 1818 दिनांक 20.03.2023 इस आशय का पारित किया गया कि आयुध अधिनियम 2016 के नियम 11(1)(ख) के अनुसार अनुज्ञापत्र का आवेदन, आवेदक के सामान्यतः निवास या अधिभोग करने वाले स्थान की अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञापन अधिकारी को पेश करेगा। अपीलान्ट का अपने आवेदन पत्र के साथ पेश किये गये विभिन्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त अपीलान्ट का वर्तमान में जयपुर जिले में निवास करना स्पष्ट होता है। इस अभिमत के साथ अपीलान्ट की ओर से नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 के द्वारा खारिज किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 20.03.2023 के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। वक्त बहस रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। अतः वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

17.9.2024

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक मे मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुये बहस में तर्क दिया कि जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्ट की माह जून 2021 में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय में अपीलान्ट व उसके परिजनों को जानमाल का खतरा होने के कारण पिस्टल का शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने हेतु निर्धारित फार्म में आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजात संलग्न किये गये थे। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक धौलपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी आई डी विशेष शाखा जौन भरतपुर, तहसीलदार धौलपुर, उपवन संरक्षक धौलपुर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर आदि से अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के संबंध में रिपोर्ट तलब की गई। जिनके सभी के द्वारा अपीलान्ट को नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की अभिशंषा की गई। इसके बाबजूद जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अनुज्ञा पत्र के आवेदन को धौलपुर की मूल निवासी नहीं होना मानकर प्रशासनिक आदेश के आधार पर खारिजं किये जाने का आदेश दिया है, जो कि अनुचित है। जबकि अपीलान्ट का मूल निवास जगदम्बा कॉलोनी धौलपुर राजस्थान में है, जहां पर वह स्थायी रूप से परिवार के साथ निवास करती है। इस संदर्भ में अपीलान्ट ने आवेदन पत्र के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विधुत बिल की छाया प्रति तथा नगर परिषद धौलपुर के बार्ड नम्बर 8 की पार्षद गिरिजा देवी का प्रमाण पत्र भी पेश किया था। अपीलान्ट ने आवेदन पत्र के साथ अपीलान्ट के पति के साथ पति के भाई ठाकुर रेशमसिंह गांव रेवियापुरा थाना व तहसील बसेडी जिला धौलपुर से पुश्तैनी खेत मकान जायदाद के संबंध में बंटवारा के रूप में चल रहे झगडे के दस्तावेज भी प्रस्तुत किये थे तथा रेशमसिंह व उसके परिवारीजन से जान माल का खतरा होना बताया थां, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व उपरोक्त सभी दस्तावेजात को नजरअंदाज किया गया है। अपीलान्ट के पति जयपुर में एस0आर0 कंपनी के नाम से ट्रान्सपोर्ट का काम करते हैं, जिसका आफिस 1533/35 बाबा हरिशचन्द्र मार्ग इन्द्रा बाजार जयपुर में स्थित है। कारोबार के संबंध में माल की चोरी लूट आदि की वारदात होती रहती है व मालूम पडने पर पति द्वारा अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने पर अपराधियों द्वारा जान माल को नुकसान पहुंचाने की धमकी मिलती रहती है। इस संबध में भी जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को अपीलान्ट द्वारा दस्तावेजात पेश किये गये थे, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने इन दस्तावेजों को आधार मानकर यह मानते हुये कि अपीलान्ट का निवास स्थान जयपुर होने के कारण क्षेत्राधिकारिता वाले अधिकारी के समक्ष अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन किये जाने के निर्देश के साथ अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने का आदेश दिया है, जो कि विधिविरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

न्यायालय संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

17-9-2024

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया कि अपीलान्ट की ओर से अपने व परिवार के साथ घटित घटनाओं के संबंध में केन्द्र सरकार के गृह विभाग व राजस्थार सरकार, राष्ट्रपति महोदय को भी सुरक्षा की मांग करते हुये अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु अनुरोध किया था। इससे चिढकर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश की नकल अपीलान्ट की ओर से चाहे जाने पर उपलब्ध नहीं करवाई गई। इस पर अपीलान्ट की ओर से सूचना के अधिकार के तहत आवेदन किये जाने पर दिनांक 23.06.2023 को प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई गई। अपीलान्ट को जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पारित किये गये आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं होने के कारण बिना आदेश के अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय से अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अनुज्ञा पत्र आवेदन संबंधी मूल पत्रावली प्राप्त होने पर इस तथ्य की जानकारी हुई कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र को दिनांक 20.03.2023 को खारिज किया है, जो कि गलत है, क्योंकि अपीलान्ट का निवास जगदम्बा कॉलोनी सैंपऊ रोड धौलपुर है, जहां की अपीलान्ट मूल निवासी भी है। फिर भी जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलान्ट को जयपुर का निवासी मानकर अनुज्ञा पत्र संबंधी आवेदन को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है, जो कि गलत है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के द्वारा पुलिस अधीक्षक धौलपुर, तहसीलदार धौलपुर, उपवन संरक्षक धौलपुर व अन्य से जो रिपोर्ट मंगवाई थी। उसमें भी सभी ने जॉच रिपोर्ट में अपीलान्ट का स्थायी निवास एवं पता जगदम कॉलोनी सैंपऊ रोड धौलपुर होना बतायां था, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा उपरोक्त सभी रिपोर्टस को नजरअंदाज कर केवल मात्र अपीलान्ट के पति के द्वारा जयपुर में ट्रान्सपोर्ट का व्यवसाय किये जाने के आधार पर अपीलान्ट को जयपुर का निवासी मानकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत आवेदन को खारिज किये जाने का आदेश पारित किया है, जबकि अपीलान्ट के पति जयपुर में स्थायी रूप से निवास नहीं कर धौलपुर ही निवास करते हैं। जयपुर में केवल ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के माध्यम से माल भेजने का काम करते हैं। केवल इसी आधार पर यह माना जाना कि अपीलान्ट जयपुर के निवासी हैं, उचित नहीं है। अपीलान्ट को व उसके परिवार को जानमाल का खतरा बना रहता है। इस संबध में अपीलान्ट द्वारा समस्त दस्तावेजात भी जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये थे, लेकिन इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है तथा खारिज करने के आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं कराकर सूचना के अधिकार के तहत केवल आवेदन पत्र को निरस्त किये जाने की सूचना दी गई है, जो कि उचित नहीं है। चूंकि अपीलान्ट की ओर से अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा के लिये विभिन्न उच्चाधिकारियों को सुरक्षा व हथियार लाईसेंस उपलब्ध कराने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किये थे जिनकी छाया प्रति भी पेश की थी

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

मगर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के द्वारा इन तथ्यों पर भी गौर नहीं किया गया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही अपीलान्ट के द्वारा अदालत हाजा में अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने बाबत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो कोई जवाब पेश किया गया और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया गया। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश के बारे में प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से जानकारी रही हो। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार करते हुये स्वीकार की जावे तथा जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 20.03.2023 निरस्त कर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को अपीलान्ट के पक्ष में शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने का आदेश दिया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्राबली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.03.2023 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 30.06.2023 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञा पत्र को खारिज किये जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से जारी किये गये पत्र दिनांक 20.03.2023 की प्रति सूचना के अधिकार के तहत दिनांक 23.06.2023 को प्राप्त होने का उल्लेख करते हुये दिनांक 30.06.2023 को अपील प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख करते हुये अपील पेश करने में हुये विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र वशपथ पत्र पेश करते हुये अपील पेश की गई है। रैस्पोडेन्ट की ओर से न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

17.5.2024

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलान्ट की ओर से जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय में नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 15.06.2021 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ क्षति पूर्ति बान्ड, शपथ पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के संबंध में विभिन्न अधिकारियों को लिखे गये पत्रादि की फोटोप्रतियां व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के कार्यालय से पुलिस अधीक्षक धौलपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. वि0शा0 जोन भरतपुर, तहसीलदार धौलपुर, उपवन संरक्षक धौलपुर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर व आरमोर्र रिजर्व पुलिस लाइन धौलपुर को रिपोर्ट भिजवाने हेतु पत्र लिखा गया। जिसकी पालना में उपवन संरक्षक धौलपुर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी धौलपुर, आरमोर्र पुलिस लाइन धौलपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सी.आई.डी. वि0शा0 जोन भरतपुर, पुलिस अधीक्षक धौलपुर की ओर से अपीलान्ट के पक्ष में अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने की अभिशंषा की गई। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद के संबंध में पुलिस अधीक्षक धौलपुर द्वारा गृह मंत्रालय भारत सरकार को भिजवाई गई रिपोर्ट का हवाला देते हुये यह माना कि प्रार्थीया ज्योति का परिवार काफी समय से गांव में नहीं रहकर जयपुर में निवास करना बताया गया है। इसलिये आयुध अधिनियम 2016 के नियम 11(1)(ख) के अनुसार अनुज्ञा पत्र का आवेदन आवेदक के सामान्यतः निवास या अधिभोग करने वाले स्थान की अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञाअधिकारी को पेश किया जावेगा। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के को खारिज किये जाने के संबंध में किसी तरह का कोई आदेश जारी नहीं कर पत्र कमांक 1818 दिनांक 20.03.2023 को जारी किया है। जिसमें उल्लेख किया है कि आयुध अधिनियम 2016 के नियम 11(1)(ख) के अनुसार सूचना के अधिकार के तहत अनुज्ञा पत्र का आवेदन आवेदक के सामान्यतः निवास या अधिभोग करने वाले स्थान की अधिकारिता रखने वाले अनुज्ञाअधिकारी को पेश करेगा। आवेदन पत्र के साथ पेश किये गये विभिन्न दस्तावेजों को परीक्षण उपरान्त यह मानते हुये कि अपीलान्ट का जयपुर जिले में निवास करना स्पष्ट होता है। इस कारण नवीन अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से जारी उपरोक्त पत्र आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। इसके अलावा अपीलान्ट के द्वारा धौलपुर की मूल निवासी होने के संबंध में मूल निवास प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये थे तथा विभिन्न अधिकारियों की ओर से अनुज्ञा पत्र के संबंध में जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसमें भी अपीलान्टा का मूल निवास धौलपुर होना बताया गया है। अपीलान्ट की

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

17.9.2024

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ओर से नवीन अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात तथा विभिन्न अधिकारियों से प्राप्त हुये पत्रों में वर्णित पते के संबंध में विद्वान जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा किसी प्रकार का कोई अभिमत नहीं दिया गया है और न ही अपीलान्टा के आवेदन पत्र के संबंध में कोई स्पष्ट व स्पीकिंग निर्णय ही पारित किया गया है। इसलिये जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से अपीलान्टा को लिखे गये पत्र दिनांक 20.03.2023 को उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के द्वारा जारी पत्र दिनांक 20.03.2023 निरस्त किया जाकर प्रकरण जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से नवीन अनुज्ञा पत्र जारी किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के बारे में आयुध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुये आवेदन पत्र को खारिज किये जाने/स्वीकार किये जाने के संबंध में पुनः नये सिरे से स्पष्ट व स्पीकिंग निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 17.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

न्यायालय संभागीय आयुक्त ★ भरतपुर संभाग, भरतपुर ★

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर